व्यक्तिगत–घ्यानार्थ
अतिआवश्यक / समयबद्व
फैक्स / स्पीड पोस्ट

सख्यां :शिक्षा–एच(10)एफ(4)11 / 2009
शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला–171001

18, नवम्बर, 2011

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

1 प्राचार्य, समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / निजी महाविद्यालय हि0प्र0 ।
2 प्राचार्य,समस्त संस्कृत महाविद्यालय हि0 प्र0।
3 समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि0 प्र0।

विषय :– **केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में लाभान्वित छात्र / छात्राओं की सूची जारी करने बारे :–**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन तथा चैक के माध्यम से जो छात्रवृति की राशि पात्र छात्र / छात्राओं में आवटिंत की गई का पूर्ण ब्यौरा विभाग की वैवसाईट www.educationhp.org उपलब्ध किया गया है ।

अतः सभी प्राचार्यो, को आदेश दिये जाते है कि वह 7 दिन के भीतर अपने महाविधालय में पढाई कर रहे उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र / छात्राओं का ब्यौरा विभाग की वैवसाईट पर देखे तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन पात्र छात्र / छात्राओं को ऑनलाईन बैक द्वारा छात्रवृति की राशि जारी की गई है क्या उन छात्र / छात्रों कें खातों में छात्रवृति की राशि प्राप्त हुई है अथवा नही.। इस तरह सभी उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते है कि वह 2 दिन के भीतर अपने अधीनस्त स्कूलों को यह आदेश दे कि पाठशालाओं में पढाई कर रहे उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र / छात्राओं का ब्यौरा विभाग की वैवसाईट पर देखे तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन पात्र छात्र / छात्राओं को ऑनलाईन बैक द्वारा छात्रवृति की राशि जारी की गई है क्या उन छात्र / छात्रों को उन कें खातों में छात्रवृति की राशि प्राप्त हुई है अथवा नही, । इस लिये सभी प्राचार्यों, उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी पात्र छात्र / छात्रा को ऑनलाईन सम्बन्धित खातें में छात्रवृति की राशि प्राप्त नही हुई है (जिस का कारण विभाग को सही बैक खाता सख्यां व आई.एफ.एस.सी. कोड उपलब्ध न करवाना है) को सम्बन्धित **बैक से सत्यापित करवाकर 15 दिनों के भीतर निदेशालय से मामला उठायें ताकि पात्र छात्र / छात्राओं को चैक के माध्यम ये छात्रवृति की राशि आवंटित की जा सके । यदि आप द्वारा सूचना समय रहते उपलब्ध नही करवाई गई तो जो छात्र / छात्रा छात्रवृति से वचितं रह जाते है उन का पूर्ण दायित्व आप का होगा।**

(उ)शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।